(आदेश फलक)

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद संख्या 193/19 4

धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।

अनिल कुमार मंडल बनाम किशोरी मंडल वगैरह

10-01-20
24-01-20

स्थानीय पुलिस डुमरी थाना से प्राप्त प्रतिवेदन, 11-02-20
जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से प्रतीत 17-03-20
होता है कि उभय पक्षों के बीच घर में पानी का बहाव- 03-04-20
से संबंधित विवाद है तथा काफी तनाव है। जिससे 21-9-20
शांति एवं विधि-व्यवस्था भंग होने की संभावना है। 25-9-20
09-10-20

03-07-2020

जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति–व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शान्तिभंग, खून–खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष / विपक्षी सदस्यों के विरूद्ध धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक 10 / 01 20 20 को कारण–पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल के लिए शान्ति बनाए रखने हेतु 5000/– रूपये के दो–दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध–पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष :→ अनिल कुमार मंडल पे० - प्यारी मंडल सा० जीतकुंडी
द्वितीय पक्ष :→ (1) किशोरी मंडल पे० - झरी मंडल (2) प्रदीप मंडल पे० - झरी मंडल (3) अंजू देवी - पति - प्रदीप मंडल
सभी सा० जीतकुण्डी था० - डुमरी।

लेखापित

03-07-2020
कार्यपालक दण्डाधिकारी
डुमरी

कार्यपालक दण्डाधिकारी डुमरी (गिरिडीह)

03-07-2020
कार्यपालक दण्डाधिकारी
डुमरी

Scanned with CamScanner

द.प्र.सं. की धारा 107 के अन्तर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद का निष्पादन आदेश

वाद संख्या : 193/19-20
अनिल कुमार मंडल बनाम किशोरी मंडल वो०

12-12-20

अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 12-12-2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद से संबंधित उभय पक्षों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत कर सूचित किया गया। वाद से संबंधित प्रथम पक्ष/उभय पक्ष लोक अदालत में उपस्थित/अनुपस्थित।

उभय पक्षों के बीच संभवतः शांति-व्यवस्था कायम है। उभय पक्षों के बीच शांति-व्यवस्था/विधि-व्यवस्था के उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित थाना से प्राप्त नहीं हुआ है। साथ हीं अभिलेख की कार्यवाही प्रारम्भ हुए छः माह व्यतीत हो गए हैं।

अतः काल अवधि बाधित होने के कारण अभिलेख की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

12.12.2020	12.12.2020
अनुमण्डल दण्डाधिकारी	अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।	डुमरी।

Scanned with CamScanner